

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू. अभिलेख अधिकारी, शाहपुरा  
(जिला-भीलवाड़ा) राज0

पीठसीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार मीणा, आर0ए0एस0  
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 45/2026  
जी0सी0एम0एस0 संख्या : 2026/51

अनवान

- 1- अशोक कुमार पुत्र सत्यनारायण छीपा निवासी ढीकोला तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 2- गीता पुत्री जगदीश छीपा निवासी ढीकोला तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 3- देवेन्द्र पुत्र सत्यनारायण छीपा निवासी ढीकोला तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 4- बीना पुत्री सत्यनारायण छीपा निवासी ढीकोला तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 5- मंजूदेवी पत्नी सत्यनारायण छीपा निवासी ढीकोला तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

-प्रार्थीगण

बनाम

- 1- भैरूलाल पिता रामसुख खण्डेलवाल निवासी ढीकोला तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 2- बाबू पिता कमरुद्दीन पिनारा निवासी ढीकोला तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 3- सुरेश पिता नन्दा तिवाड़ी निवासी ढीकोला तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 4- कन्हैयालाल पिता शोभाराम खाती निवासी ढीकोला तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 5- मोडूनाथ पिता रामनाथ बावजी निवासी ढीकोला तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 6- देवकिशन पिता नाथू महाराज निवासी ढीकोला तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

-विपक्षीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजु : 17/02/2026

उपस्थित :-

श्री अनिल कुमार शर्मा

:अधिवक्ता प्रार्थीगण

::- निर्णय -::

दिनांक : 18/03/2026

1. वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत विरुद्ध विपक्षीगण द्वारा पेश किया गया संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि राजस्व ग्राम ढीकोला प0ह0 ढीकोला भू0अ0निरीक्षक ढीकोला तहसील शाहपुरा की सीमा में खसरा नम्बर 4448 रकबा 0.28 है0, 4449 रकबा 0.26 है0, 4450 रकबा 0.08 है0, 4451 रकबा 0.09 है0, 4452 रकबा 0.04 है0, 4453 रकबा 0.05 है0, 4454 रकबा 0.28 है0, 4455 रकबा 0.23 है0, 4458 रकबा 0.14 है0, 4459 रकबा 0.23 है0, 4460 रकबा 0.79 है0 कुल किता 11 रकबा 2.47 है0 भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी प्रस्तुत की है। प्रार्थी की उक्त वर्णित आराजियात की चारों दिशाओं के विपक्षीगण पड़ौसी है जो आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय एवं मेड़ों की घास काटते समय मौके पर सीमा को लेकर विवाद करते है। प्रार्थीगण दिनांक 25.11.2025 को अपनी आराजियात पर गये तो विपक्षीगण द्वारा सीमा को लेकर विवाद किया गया। इस कारण प्रार्थीगण के वाद हेतु तारीख 25/11/2025 से पैदा होकर जारी है।
2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। बावजूद सम्यक् तामिली विपक्षीगण को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।
3. प्रार्थीगण अधिकता की बहस सुनी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम ढीकोला प0ह0 ढीकोला भू0अ0निरीक्षक ढीकोला तहसील शाहपुरा की सीमा में खसरा नम्बर 4448 रकबा 0.28 है0, 4449 रकबा 0.26 है0, 4450 रकबा 0.08 है0, 4451 रकबा 0.09 है0, 4452 रकबा 0.04 है0, 4453 रकबा 0.05 है0, 4454 रकबा 0.28 है0, 4455 रकबा 0.23 है0, 4458 रकबा 0.14 है0, 4459 रकबा 0.23 है0, 4460 रकबा 0.79 है0 कुल किता 11 रकबा 2.47 है0 भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नहीं होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने के दरम्यान पक्षकारान

में आपस में सीमा संबंधी विवाद बना रहता है, जिससे प्रार्थीगण द्वारा अपनी संयुक्त खातेदारी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु आवेदन पेश किया है।

4. हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड व संलग्न दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया जाकर विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों का विवेचन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया । जिससे स्पष्ट है कि राजस्व ग्राम डीकोला प0ह0 डीकोला भू0अ0निरीक्षक डीकोला तहसील शाहपुरा के खेत की आराजी खसरा नम्बर 4448 रकबा 0.28 है0, 4449 रकबा 0.26 है0, 4450 रकबा 0.08 है0, 4451 रकबा 0.09 है0, 4452 रकबा 0.04 है0, 4453 रकबा 0.05 है0, 4454 रकबा 0.28 है0, 4455 रकबा 0.23 है0, 4458 रकबा 0.14 है0, 4459 रकबा 0.23 है0, 4460 रकबा 0.79 है0 कुल किता 11 रकबा 2.47 है0 भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर स्थित है, जो पत्रावली में संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण वादगस्त आराजी खसरा नम्बर 4448 रकबा 0.28 है0, 4449 रकबा 0.26 है0, 4450 रकबा 0.08 है0, 4451 रकबा 0.09 है0, 4452 रकबा 0.04 है0, 4453 रकबा 0.05 है0, 4454 रकबा 0.28 है0, 4455 रकबा 0.23 है0, 4458 रकबा 0.14 है0, 4459 रकबा 0.23 है0, 4460 रकबा 0.79 है0 कुल किता 11 रकबा 2.47 है0 के अभिलिखित खातेदार है, और अभिलिखित खातेदार अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थीगण हकदार प्रतीत होता है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की आराजी राजस्व ग्राम डीकोला प0ह0 डीकोला भू0अ0निरीक्षक डीकोला तहसील शाहपुरा के खेत की आराजी खसरा नम्बर 4448 रकबा 0.28 है0, 4449 रकबा 0.26 है0, 4450 रकबा 0.08 है0, 4451 रकबा 0.09 है0, 4452 रकबा 0.04 है0, 4453 रकबा 0.05 है0, 4454 रकबा 0.28 है0, 4455 रकबा 0.23 है0, 4458 रकबा 0.14 है0, 4459 रकबा 0.23 है0, 4460 रकबा 0.79 है0 एवं इससे लगती विपक्षीगण की आराजी का मौके पर रिकार्ड अनुसार माप करवाते हुए प्रार्थीगण की आराजी की पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भू-अभिलेख निरीक्षक डीकोला को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढी हेतु कमिश्नर फीस 1000/- रुपये कायम किये जाते हैं, जो प्रार्थीगण से भू0अ0निरीक्षक डीकोला मौके पर प्राप्त करें। कमिश्नर उभयपक्षकारान को विधिवत नोटिस तामिल करा वक्त कार्यवाही उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद करावें। दौराने कार्यवाही संबंधित खातेदारों के मौके कब्जे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाए। प्रकरण में प्रश्नगत आराजी की सीमाओं में विवाद होने की दशा में मौका फर्द में इसका अंकन किया जाकर, सीमाओं में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं करते हुए कब्जा प्राप्त करने संबंधी कार्यवाही हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु पाबंद किया जावे। उक्त आदेश के तहत किसी भी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में फेदबदल नहीं किया जावे। प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में किसी न्यायालय में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं न्यायालय का स्थगन होने की दशा में पत्थरगढी की कारवाई नहीं की जावे। यदि सम्पूर्ण भूमि पर अन्य काश्तकार/व्यक्ति काबिज है तो पत्थरगढी की कार्यवाही नहीं की जाकर तदनुसार रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्थरगढी से पूर्व समस्त पक्षकारान(किसी भी पक्षकारान की मृत्यु की स्थिति में उनके विधिक वारिसान) को सूचित किया जावे। पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय आज दिनांक 18/03/2026 को सुनाया गया

( सुनील कुमार मीणा )  
सहायक कलेक्टर एवं  
पदेन उपखण्ड अधिकारी  
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि उक्तानुसार पालना की जाकर पालना रिपोर्ट भिजावें।

सहायक कलेक्टर एवं  
पदेन उपखण्ड अधिकारी  
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा